



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2009/चैत्र 26, 1931

No. 623]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2009/CHAITRA 26, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2009

का.आ. 964(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस त्रिषय से संबंधित सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, जिसमें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा छोड़े गए कार्य शामिल नहीं हैं, राष्ट्रपति एतद्वारा, निदेश देती हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल के नाम से तैयार और निष्पादित किए गए सभी आदेश और अन्य दस्तावेज अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के निम्नलिखित अधिकारियों के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे :—

- (क) मुख्य सचिव; अथवा
- (ख) आयुक्त-सह-सचिव; अथवा
- (ग) सचिव; अथवा
- (घ) विशेष सचिव; अथवा
- (ङ) अपर सचिव; अथवा
- (च) संयुक्त सचिव; अथवा
- (छ) उप सचिव; अथवा
- (ज) सहायक सचिव।

[फा. सं. यू-11023/1/2009-यूटीएल]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2009

S.O. 964(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 239 of the Constitution, and, in supersession of all previous notifications on the subject, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that all orders and other instruments made and executed in the name of the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands, shall be authenticated by the signature of—

- (a) the Chief Secretary; or
- (b) the Commissioner-cum-Secretary; or
- (c) the Secretary; or
- (d) the Special Secretary; or
- (e) the Additional Secretary; or
- (f) the Joint Secretary; or
- (g) the Deputy Secretary; or
- (h) the Assistant Secretary,

of the Andaman and Nicobar Islands Administration.

[F. No. U-11023/1/2009-UTL]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.